बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

<u>अधिसूचना</u>

संख्या—5 न0/वि0—115/2014 🏞 बिहार नगरपालिका अधिनियन, 2007 (बिहार अधिनियम, 11, 2007) की धारा—4 के अधीन पूर्व प्रकाशित प्रारूप अधिसूचना संख्या—5365 दिनांक—12.08.2016 द्वारा घोषित संक्रमणशील क्षेत्र के लिए धारा—5 के अधीन प्राप्त आपत्तियों पर सम्यक् विचारोपरान्त अधिनियम की धारा—6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार सारण जिलान्तर्गत छपरा नगर परिषद की वर्त्तमान परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चौहद्दी को नगर निगम, छपरा घोषित करती है।

वित्रामान
परिधि में पड़ने वाले क्षेत्रों एवं उसकी वर्त्तमान चौहद्दी को नगर निगम, छपरा घोषित करती है।
2. यह अधिसूचना तुंरत प्रवृत्त होगी।
बिहार राज्यपार्यक आदेश से,
13/2/2012
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव
नगर विकास एवं आवास विभाग संख्या—5 न0/वि0—115/2014 पित्र 5/न0वि0एवं.आ0वि0 /पटना, दिनांक— \4\19\12
प्रतिलिपि:— अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को, बिहार गजट के असाधारण अंक
म प्रकाशनाथ प्रावत।
2. उनसे अनुरोध है कि वे प्रकाशित गजट की 200 प्रतियाँ नगर विकास एवं आवास विभाग को उपलब्ध करावेंगे।
4734
प्रधान सचिव १७७ ० ।
नगर विकास एवं आवास विभाग
संख्या—5 न0 / वि0—115 / 2014 97 5 / न0 वि0 एवं आ विव / पटना, दिनांक— 14991) -
प्रतिलिपि:—सभी विभाग / सभी विभागध्याक्ष / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / महालेखाकार, बिहार, पटना / स्थानीय लेखा परीक्षक, बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी,
छपरा/माननीय मुख्य मंत्री के आप्त सचिव/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, नगर किन्नु एवं आवास
विभाग / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, नगर विकास एव आवास विभाग को स मीम र्थ एवं आवश्यक
कार्यार्थ प्रेषित।
(2hm)
प्रधान सचिवं /२०१ ह नगर विकास एवं आवास विभाग
संख्या—5 न0/वि0—115/2014 47 % न0वि0एवं.आ०वि० /पटना / दिनांक - 14091) २
प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, सोन भवन, पटना को सूचनार्थ पूर्व आवश्यक कार्यार्थ
प्रेषित।
3/2/20V
प्रधान साचेव <i>१ - ५ -</i> नगर विकास एवं आवास विभाग
3 No Right 14417

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग अधिसचना

संख्या-5 न0/वि0-115/2014/ अधिसूचना संख्या- 9775 दिनांक-14/2112-का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत, संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाट समझा जायेगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग

Government of Bihar **Urban Development and Housing Department**

Memo No- 5 N/Vivdh-115/2014 タネん After due consideration on objection received under section-5 for transitional areas declared through previously published draft Notification No-5365 dated-12.08.2016 under section-4 of the Bihar Municipal Act, 2007 (Bihar Act, 11 of 2007) the State Government in exercise of the powers conferred under section-6 of the Act declares the Circle of Nagar Parishad, Chapra and its present chauhaddi within the district of Saran as Nagar Nigam,

Chapra. 2. This notification shall come in to force at once. By the order of the Governor of Bihar (Chaitanya Prasad) **Principal Secretary** Urban Development and Housing Department Memo No-5 N/Vivdh-115/2014 976 UD&HD Dated: 14199117 Copy to the Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbagh, Patna for its publication in an extra ordinary issue of the Bihar Gazette. He is requested to make available 200 copies of the Gazette to Urban Development and Housing Department. Principal Secretary Urban Development and Housing Department. Dated: 14/02/17 .Memo No-5 N/Vivdh-115/2014 UD&HD 976 Copy to All Departments/All Departmental Heads/All Divisional Commissioner/All District Magistrates/Accountant General Bihar, Patna/ Auditor of Local Accounts Bihar, Patna/ Treasury Officer Chapra/ Private Secretary to the honorable Chief Minister/ Private Secretary to the honorable Minister Urban Development and Housing Department/ Secretary Orban Development and Housing Department for information and necessary action.

Principal Secretary

Principal Secretary

Urban Development and Housing Department.

976 Memo No-5 N/Vivdh-115/2014

No-5 N/Vivdh-115/2014 976 UD&HD Dated:- 44917-Copy to Secretary, State Election Commission Bihar, Son Bhawan, Juna for information and necessary action.

Principal Secreta Urban Development and Housing Department.

one su